प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

नाथीदेवी पुत्री आसुराम पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. केवलराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भंवराराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. धन्नी पत्नी स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. मांगीलाल बउम्र 16 वर्ष
5. छोटू बउम्र 15 वर्ष
6. पूनम बउम्र 14 वर्ष
7. मंजू बउम्र 13 वर्ष नाबालिग पुत्र/पुत्रियां स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) जरिये अपनी माता संरक्षिका धन्नीदेवी पत्नी स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक, विभाजन, चिननिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 12/2014
निर्णय दिनांक 25.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह मान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता साजिद खान व प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खेतो में आने जाने के रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। रहन यथावत् रहेगा।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 12/2014
ऑनलाईन नंबर 2014/00013

निर्णय दिनांकः 25.11.2022

नाथीदेवी पुत्री आसुराम पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. केवलराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भंवरराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. धन्नी पत्नी स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. मांगीलाल बउम्र 16 वर्ष
5. छोटू बउम्र 15 वर्ष
6. पूनम बउम्र 14 वर्ष
7. मंजू बउम्र 13 वर्ष नाबालिग पुत्र/पुत्रियां स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) जरिये अपनी माता संरक्षिका धन्नीदेवी पत्नी स्व. रामूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र सिंह मान अभिभाषक वादीनी
2. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद वादिनी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ता 7 वादिनी के भतीजे/भतिजियां है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादिनी की भाभी है। दावा की समझाईश हेतु वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की वंश वंशावली निम्न प्रकार से है :–

आसूराम

मूली देवी (फौत) पत्नी | रामूराम (फौत) पुत्र | नाथीदेवी (मौजूद) पुत्री

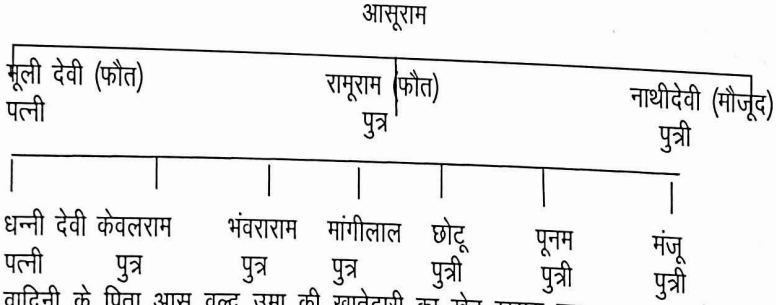

धन्नी देवी पत्नी | केवलराम पुत्र | भंवराराम पुत्र | मांगीलाल पुत्र | छोटू पुत्री | पूनम पुत्री | मंजू पुत्री

वादिनी के पिता आसू वल्द उमा की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 26 बीघा 3 बिस्वा वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। वादिनी के पिता आसूराम फौत हो चुके हैं। आसूराम के जायज वारिसानों में वादिनी व वादिनी की माता मूलीदेवी व भाई रामूराम हुए। मूलीदेवी व भाई रामूराम भी फौत हो चुके हैं। रामूराम के जायज वारिसानों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है।वादिनी की शादी राजलदेसर में हुई थी परन्तु शादी के बाद से ही वादिनी गांव मोमासर आकर बस गई व वादिनी ने अपने माता–पिता की खुब सेवा–चाकरी की थी। वादिनी व स्व. रामूराम अपने पिता के जीवनकाल से ही वादगत खेत [illegible] रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। यानि वादगत खेत में वादिनी का 1/2 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता स्व. रामूराम का 1/2 हिस्सा रहा है। आसूराम की मृत्यु के बाद रामूराम [illegible] वारिसानों की परवरिश भी वादिनी ने ही की है। वादिनी अपने हिस्से को अपने पिता के जीवनकाल से ही काश्त करती चली आ रही है। वादगत खेत वादिनी का पैतृक खेत है।वादिनी को कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर उपर्युक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकलें [illegible].01.2014 को निकलवाई तो वादिनी को पता चला कि वादिनी के पिता आसूराम की मृत्यु के बाद वादगत खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 26 बीघा 3 बिस्वा वाकेरोही मोमासर जिसके नये खसरा नम्बर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर कायम हो चुके हैं का विरास्तन इन्तकाल संख्या 1310 दिनांक 25.03.1989 को दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:58 IST
Reason: SelfAttested

गया तो सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता/पति स्व. रामूराम व आसूराम की पत्नी मूलीदेवी का ही नाम दर्ज कर दिया गया और वादिनी का नाम छोड़ दिया गया। उक्त इन्तकाल में आसूराम के वारिसानों में मात्र रामूराम व मूली को ही अंकित किया गया है जो कि गलत है। उक्त इन्तकाल में वादिनी को पुत्री के रूप में अंकित किया जाना चाहिए था व वादिनी के नाम भी विरास्तन इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था। यह कि मूली देवी व रामूराम के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादगत खेत का विरास्तन इन्तकाल सं. 1034 दिनांकित 05.05.2012 के जरिये अपने नाम दर्ज करवा लिया व प्रतिवादी सं. 1 तो 4 ने वादगत खेत में अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या 9 के यहां रहन भी रख दिया। उपर्युक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादिनी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को दिनांक 24.01.2014 को ओलमा दिया व कहा कि वादगत खेत में मेरा शुरू से आज तक 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है व आपके पिता/पति स्व. रामूराम का 1/2 हिस्सा रहा है व आप 1/2 हिस्से को ही काश्त करते हो तो पूरे खेत की खातेदारी आप लोगों ने अपने नाम कैसे चढ़वा ली तो प्रतिवादीगण ने वादिनी को कहा कि हमारे पिता/पति स्व. रामूराम के नाम खातेदारी पहले से चढ़ी हुई थी इसलिए हमने भी अपने नाम चढ़वा ली तब वादिनी ने प्रतिवादीगण से अपने 1/2 हिस्से की जमीन की खातेदारी सहमति से वादिनी के नाम करवाने व उसका खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब आपको कोई जमीन नहीं मिलेगी व ना ही हम वादगत खेत में अब हम घुसने देंगे ऐसी स्थिति में वादिनी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है।यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादगत खेत खसरा नम्बर 1062 तादादी 6.61 में हुए गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं वादगत खेत को अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण करने की बराबर धमकियां दे रहे हैं। वादिनी के पास वादगत खसरा भूमि के अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं है। वादिनी वादगत खेत में 1/2 हिस्सा की खातेदारी का घोषणा करवाने की अधिकारीणी है।यह है कि वादिनी का वादगत खेत में 1/2 हिस्सा है जिस पर वह अपने पिता के जीवनकाल से ही काश्त करती चली आ रही है। वादिनी वादगत खेत में अपने 1/2 हिस्सा को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग करवाना चाहती है जिसके लिए यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।यह है कि वर्तमान वादगत खसरा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने नाम का बैजा लाभ उठाकर वादिनी को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से महरूम व बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादिनी को दिनांक 24.01.2014 को एलानियां कहा कि वादगत खसरा भूमि को हम अपनी मनमर्जी के अनुसार विक्रय, रहन वहन करके ही रहेंगे तथा आइन्दा तुझे खेत को काश्त नहीं करने देंगे यदि तुमने किसी प्रकार की उजर आपत्ति की तो तुम्हें घर की जमीन से भी बेदखल कर देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 येन केन प्रकारेण वादिनी को उनके हक हिस्से की कृषि भूमि से वंचित करने पर आमादा हो रहे हैं जिसके लिए वादिनी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है।यह है कि वादिनी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वो वादगत खेत खसरा 1062 में वादिनी का नाम आसूराम के वारिसानों के साथ 1/2 संयुक्त हिस्से के रूप में दर्ज करवा देंवे तब प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.01.2014 को ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व एलानियां कहा कि हम तुम्हें एक इन्च भी जमीन नहीं देंगे तथा हम इस जमीन को खुर्द बुर्द व रहन वहन करके रहेंगे। वादगत खसरा भूमि में वादिनी 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा सहमतिपूर्वक ऐसा करने से इन्कार करने पर वादिनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार व वादकारण प्राप्त हुआ है। वादिनी अपने हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि की घोषणा अपने नाम करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने की अधिकारीणी है।यह है कि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा किया जाता है इसलिए स्टेट आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया [illegible] वादिनी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा बाबत [illegible] या है परन्तु स्टेट के विरूद्ध किसी प्रकार के विशेष अनुतोष की [illegible] कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस जारी कर नोटिस [illegible] अवधि से पूर्व दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है क्योंकि प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण यथाशीघ्र वादिनी को उनके हक हिस्से की सम्पति से महरूम करना चाहते हैं इ[illegible]ए वादिनी का दावा अतिआवश्यक प्रकृति का है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वादगत खेत में दर्ज अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या 9 के यहां रहन भी रख दिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 9 भी आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है।यह है कि वादिनी का दावा वाद विषय वस्तु व पक्षकारों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:58 IST
Reason: SelfAttested

निवारा व चाहे गये अनुतोष के आधार पर श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो कि हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि घोषित किया जावे कि वादिनी वादगत खेत खसरा नम्बर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की 1/2 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार है तदनुसार वादिनी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी सं. 8 को दिया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी सं. 8 से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी का 1/2 हिस्सा तदनुसार 3.3050 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग से तरमीम किया जावे व अलग से लगान कायम किया जावे व उपर्युक्तानुसार खाता विभाजन की पालना प्रतिवादी संख्या 8 से करवाई जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी के 1/2 हिस्सा तदनुसार 3.3050 हैक्टेयर भूमि से बिना विधिवत रूप से खाता विभाजन करवाये किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। वादगत खेत से वादिनी को बेदखल नहीं करें ना ही वादिनी को वादगत खेत में प्रवेश करने से रोके ना ही कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(ड़) कि खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव पेश किया। तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। तनकीयात संख्या 1 ता 3जिम्मे वादिनी सावित करनें में असफल रही लिहाजा तनकी संख्या 1 ता 3 वादिनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है एवं तनकीयात संख्या 4 वादिनी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकीयात संख्या 5 प्रतिवादी के पक्ष मं आशिंक स्वीकार की जीत है। तनकीयात संख्या 6 वादिनी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकीयात संख्या 7 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। एवं तनकीयात संख्या 8 वादिनी के पक्ष में निर्णित की जाती है। वादिनी द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य वादी में PW-1में नाथी देवी PW-2 में सुल्तान PW-3में चिनाराम के साक्ष्य पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी DW-1 में भंवराम DW-2 बुधाराम DW-3 में तोलाराम के पेश किये गये। बहस सुनी गइ। पत्रवाली एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.4.2012 को स्वर्गीय मूली देवी द्वारा अपने वारिसान के पक्ष में किया गया पंजीकृत परित्याग पत्र प्रभावी है जो कि मूली देवी द्वारा अपने पैतृक हिस्से का किया गया है। मुताविक विरासतन 1/3 हिस्से से अधिक मूली देवी परित्याग करनें के लिये कानूनी रूप से सक्षम नही थी अपने हिस्से से अधिक भूमि का किया गया परित्याग वादीनी के हितों के मुकावले शुरू से ही शून्य है। इस प्रकार वादिनी वादगत रकबा में 1/3 हिस्सा घोषित करवानें की अधिकारीणी है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 1062 तादादी 6.61 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम ... को ध्यान में रखते हुए कब्जा काश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने के रास्ते की सुविधा ... रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। रहन यथावत् रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.... को ... पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर ... दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया ग...

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:58 IST
Reason: SelfAttested